

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक25/3/..... 2021

विषय- विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता की तिथि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि विभिन्न प्रशासी विभागों से इस बिन्दु पर परामर्श की अपेक्षा की जाती रही है कि- सरकारी सेवकों के लिए विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता की तिथि क्या होगी?

2. विदित हो कि केन्द्रीय परीक्षा समिति के पत्र संख्या-4/24-33/77-18 दिनांक-11.07.1980 द्वारा सरकार का यह निर्णय परिचारित किया गया है कि बिहार असैनिक सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन को ही परीक्षोत्तीर्ण होने की तिथि माना जायेगा।

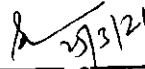
3. राज्य के संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण सरकारी सेवकों की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सेवा सम्पुष्टि/प्रोन्नति/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लिए योग्य होने की तिथि के निर्धारण में प्रशासी विभागों को निर्णय लेने में अनावश्यक कठिनाई होती है। वर्णित स्थिति में विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता की तिथि के संबंध में एक स्पष्ट परिपत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

5. प्रासंगिक मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है-

(i) जिन मामलों में विभागीय परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था/कार्यालय द्वारा ही विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि घोषित की जाती है तो संबंधित सरकारी सेवक उस तिथि से ही विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण माने जायेंगे।

(ii) जिन मामलों में विभागीय परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था/कार्यालय द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि घोषित नहीं की जाती है, उन मामलों में संबंधित सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा आयोजन की तिथि की अगली तिथि से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण माने जायेंगे।

विश्वासभाजन,


(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।